यमुना अथॉरिटी के लिए भू-अधिग्रहण पर अब किसानों को ज्यादा मुआवजा

यूपी कैबिनेट ने 19 प्रस्तावों को दी मंजूरी : 3,100 रुपये प्रति वर्गमीटर की जगह 4,300 रुपये दिए जाएंगे

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के किसानों की जमीन अधिग्रहीत करने के एवज में ज्यादा मुआवजा मिलेगा। उन्हें अभी 3,100 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से मुआवजा देने का प्रावधान है। इसे बढ़ाकर 4,300 रुपये प्रति वर्गमीटर कर दिया गया है। सोमवार को यूपी कैबिनेट की बैठक में इस फैसले समेत 19 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। प्रस्ताव के तहत अधिग्रहीत जमीन से पांच लाख रोजगार सृजित होंगे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले वर्ष 20 दिसंबर को जेवर तहसील के किसानों से मुलाकात की थी। उन्होंने घोषणा की थी कि गौतमबुद्धनगर के परगना व जेवर तहसील के गांव आकलपुर (45.69 हेक्टेयर), म्याना (165.25 हेक्टेयर) और मकसूदपुर (33 हेक्टेयर) की कुल 243.96 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण 4,300 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से किया जाएगा। इसी दर पर जेवर एयरपोर्ट के लिए अधिग्रहीत जमीन का भुगतान किया गया था। मुआवजा राशि का भार यमुना अथॉरिटी अपने स्रोतों से उठाएगी, जबकि अतिरिक्त बोझ प्राधिकरण की संपत्तियों की लागत में शामिल किया जाएगा। इससे राज्य व केंद्र सरकार पर व्यय भार नहीं पड़ेगा। इस फैसले से प्राधिकरण के औद्योगिक विकास के लिए जमीन उपलब्ध होगी और किसानों को जमीन की उचित कीमत मिल सकेगी।

लखनऊ स्थित लोकभवन में मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करते सीएम। एजेंसी

स्मार्ट सिटी वाले 7 शहरों को और दो साल

प्रदेश सरकार ने राज्य स्मार्ट सिटी योजना को दो साल का विस्तार देने का फैसला किया है। योजना के तहत कराए जाने वाले काम इसी वित्तीय वर्ष 2024-25 में खत्म करने थे, लेकिन अभी तक काम पूरे नहीं हो पाए, न ही बजट खर्च हो पाया है। इसे देखते हुए सरकार ने समय बढ़ा दिया है। अब नगर विकास विभाग को गाजियाबाद समेत राज्य स्मार्ट सिटी में शामिल सात नगर निगम वाले शहरों गोरखपुर, शाहजहांपुर, मथुरा-वृंदावन, अयोध्या, फिरोजाबाद व मेरठ में काम करने की दो साल की मोहलत मिल गई है।

लखनऊ डिफेंस कॉरिडोर में बनेगा रक्षा उत्पादों का टेस्टिंग सेंटर

डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लखनऊ नोड के तहत रक्षा इकाइयों के लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर के लिए 0.8 हेक्टेयर भूमि निशुल्क हस्तांतरित करने को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कॉमन टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर के रूप में किया जाएगा। इसमें लखनऊ नोड के अंतर्गत स्थापित रक्षा इकाइयां उत्पादों का परीक्षण और सर्टिफिकेशन कर सकेंगे। हस्तांतरित की जाने वाली जमीन 94.20 लाख रुपये की है। डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेंटर में उत्पादों के परीक्षण और सर्टिफिकेशन से यूपी से रक्षा उत्पादों के निर्यात की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी।

10 से 25 हजार मूल्य के भौतिक स्टाम्प पेपर बंद

कैबिनेट ने 10,000 से 25,000 रुपये मूल्य तक के भौतिक स्टाम्प पेपर को चलन से बाहर करने का निर्णय लिया है। अब इनके स्थान पर ई-स्टाम्प का उपयोग किया जाएगा। इस फैसले से 5,630 करोड़ रुपये से अधिक के स्टाम्प चलन से बाहर होंगे। पुराने स्टाम्प 31 मार्च तक मान्य होंगे, उसके बाद इन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह निर्णय स्टाम्प प्रणाली में पारदर्शिता लाने और गड़बड़ियों को रोकने के लिए किया गया है।

5,630
करोड़ रुपये से अधिक के स्टाम्प चलन से होंगे बाहर

बचे स्टाम्प पेपर वापस लिए जाएंगे

स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री रवींद्र जायसवाल ने बताया कि एक लाख रुपये के स्टाम्प पेपर के लिए अभी 25-25 हजार के चार स्टाम्प खरीदने पड़ते हैं। ई-स्टाम्प एक ही पेपर में बन जाएगा। 31 मार्च के बाद जिनके पास भौतिक स्टाम्प पेपर बच गए हैं, उन्हें नियमानुसार विभाग वापस लेगा। उन्होंने बताया, अभी करीब 80 फीसदी ई-स्टाम्प का प्रयोग हो रहा है। भौतिक स्टाम्प से गड़बड़ी की घटनाएं सामने आने के बाद इन्हें चलन से बाहर करना जरूरी हो गया था।

बढ़े दाम पर 17 मार्च से गेहूं खरीद, बुलंदशहर में खुलेगा नर्सिंग कॉलेज

प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए होली की खुशी को बढ़ाते हुए 17 मार्च से बढ़े हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर गेहूं खरीद की मंजूरी दे दी है। प्रदेश के 6,500 क्रय केंद्रों पर 15 जून तक 2,425 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं की खरीद होगी। किसानों को भुगतान पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से 48 घंटे के अंदर किया जाएगा।

बलिया में मेडिकल व बुलंदशहर में नर्सिंग कॉलेज : कैबिनेट ने बुलंदशहर में नर्सिंग और बलिया में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए जमीन आवंटन की मंजूरी भी दे दी।